

परिवर्तन के लिए कदम -संस्था

०८ जनवरी, २०११

आदरणीय नितिश कुमार जी ,

मुख्य मंत्री , बिहार (भारत)

श्री दीपक कुमार, प्रधान सचिव - सामान्य प्रशासन विभाग के मार्फत

आपके बिहार के विकास के लिए द्रुतगति से उठाये जाने वाले कदम निश्चित रूप से सरहानीय है। इसी कड़ी में 'बिहार राज्य सेवा देने की गारंटी विधेयक' (Right to service Bill) आपका एक ठोस कदम हैं। लेकिन अन्य राज्य जँहा इस तरह के कदम उठाये गए हैं ,की स्थिति साक्षी है कि सुविधायों के रख रखाव में और गरीब को सुविधा देने में ये कदम विफल रहें हैं । लोगों का जागरूक न होना , शिकायत के लिए उत्सुक न होना या डरे रहना और प्रशासन का करीब न होना के कारण ऐसे कदम कुछ लोगों को ही फायदा दे पाते हैं । ऊँची आय वाले भी दलालों की अटकल पच्चू से परेशान रहते हैं ।

बिना निजी घटकों के सहयोग और साभेदारी के और प्रशासन को जनता के करीब लाये बिना रख रखाव ,एक खिड़की सेवा और गरीब के कल्याण के कार्य अति मुश्किल है । इसीलिये हमारी संस्था ने सरकारी सेवाओं में सुधारों के लिए एक विकल्प तैयार किया है जो सलंगन है । आशा है आप इसे अपनी सलाहाकार समिति को परामर्श और सुझावों के लिये देंगे और एक साल विधेयक को कड़ाई से लागू करने के बाद अगर आप पायें कि विकल्प वाकई में कारगर और बेहतर है तो इसके क्रियान्वन के लिए कदम उठायेंगे । इस विकल्प को केन्द्रीय सरकार के पास योजना आयोग में भी आवश्यक कदम उठाने हेतु भेजा जा रहा है ।

जय हिन्द !

सभी के शुभचिंतक ,

अरूण वाषीय, सचिव
206 बी, अपरा जवन, डी.टी.ए.
काम्पलेक्स, प्रीतम पुरा, दिल्ली-38।
फो० - 9818659997